

भारतीय डाक विभाग  
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA



मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय  
OFFICE OF THE CHIEF POSTMASTER GENERAL

पश्चिम बंगाल सर्किल, कोलकाता / WEST BENGAL CIRCLE, KOLKATA-700012

To

1. The Assistant Director General (Vig-I), Department of Posts, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001.
2. The PMG, A&N Islands, Port Blair-744101.
3. The PMG, Sikkim State, Gangtok-737101
4. The DPS(HQ), West Bengal Circle, Kolkata-700012.
5. The DPS, North Bengal Region, Siliguri-734001.
6. The DSP, A&N Islands, Port Blair-744101.
7. The DSP, Sikkim State Gangtok-737101.

No. Vig/Z-78/Misc/2019.

Dated at Kolkata-700012, the 06-09-2019.

Subject: Gazette Notification dated 2<sup>nd</sup> September, 2019 in c/w appointing, disciplinary and appellate authorities in r/o Andaman & Nicobar Islands and Sikkim State.

A photocopy of the Gazette Notification published in the Gazette of India, Extraordinary dated 02.09.2019 in connection with appointing, disciplinary and appellate authorities in respect of Andaman & Nicobar Islands and Sikkim State, is sent herewith for your kind perusal and action.

Encl: As stated above.

(S. Dasgupta)  
ADPS (Vigilance)

Copy to:-

The ADPS(TO), O/o the Chief PMG, W.B.Circle, Kolkata-700012. He is requested to upload the Gazette Notification in the Circle Website immediately.

Encl: As stated above.

(S. Dasgupta)  
ADPS (Vigilance)

A



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 15]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 28 अगस्त, 2019

**सं. विज्ञ/ज़ेड-78/मिस./2019.**—पश्चिम बंगाल डाक सर्किल के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मंडल पहले निदेशक डाक सेवा (जेएजी) द्वारा नियंत्रित था जो डाक सहायक/डाकिया/एमटीएस/जीडीएसबीपीएम संवर्गों के नियुक्ति प्राधिकारी थे। बाद में डाक निदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 31.05.2016 के ज्ञापन सं. 33-1/2011-पीई-II द्वारा पोस्टमास्टर जनरल (एसएजी), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक पद सृजित किया गया तथा डाक निदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 07.12.2016 के ज्ञापन सं. 41-8/2016-पीई-II द्वारा निदेशक डाक सेवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पद की अन्यत्र पुनर्तीनाती की गई। इसके बाद मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल के दिनांक 12.01.2017 के ज्ञापन सं. ईस्ट/बी/ई-11/चैप.-VI/2011 द्वारा उप अधीक्षक डाकघर, मिदनापुर मंडल (समूह ख, राजपत्रित) के पद की अस्थायी रूप से सेवाहित में अगले आदेश होने तक पुनर्तीनाती की गई तथा इसका पदनाम उप अधीक्षक डाकघर (मुख्यालय), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह रखा गया।

2. पश्चिम बंगाल डाक सर्किल के उत्तर बंगाल एवं सिक्किम क्षेत्र के अंतर्गत सिक्किम राज्य पहले निदेशक डाक सेवा (जेएजी) द्वारा नियंत्रित था जो डाक सहायक/डाकिया/एमटीएस/जीडीएस बीपीएम संवर्गों को नियुक्ति प्राधिकारी थे। बाद में डाक निदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 31.05.2016 के ज्ञापन सं. 33-1/2011-पीई-II द्वारा पोस्टमास्टर जनरल (एसएजी), सिक्किम का एक पद सृजित किया गया तथा डाक निदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 07.12.2016 के ज्ञापन सं. 41-8/2016-पीई-II द्वारा निदेशक डाक सेवा, सिक्किम के पद की अन्यत्र पुनर्तीनाती की गई। इसके बाद सर्किल कार्यालय के दिनांक 23.01.2017 के ज्ञापन सं. ईस्ट/बी/ई-11/चैप.-VI/2011 द्वारा उप अधीक्षक डाकघर, जलपाईगुडी मंडल (समूह ख, राजपत्रित) के पद की पुनर्तीनाती की गई तथा इसका पदनाम उप अधीक्षक डाकघर, सिक्किम रखा गया।



3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम के प्रशासनिक पदानुक्रम में परिवर्तन के फलस्वरूप मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल के दिनांक 23.10.2017 के ज्ञापन सं. एसएफए/पी-34/XVI/पार्ट में यह बताया गया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम (सारणी-क के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट) में डाक सहायक (समूह 'ग'), डाकिया (समूह 'ग'), एमटीएस (समूह 'ग') एवं जीडीएसबीपीएम संवर्गों के लिए कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। स्तम्भ 3 एवं 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में उस तारीख से क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी होंगे।

**सारणी 'क'**

	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड अधिरोपितकर्ता सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जो अधिरोपित हो सकते हैं। (सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम-11 में मद संख्याओं के संदर्भ में)		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	दंड	
	1	2	3	4	5
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/ डाकिया (समूह 'ग')/एमटीएस (समूह 'ग')/जीडीएसबीपीएम जिनकी नियुक्ति 23.10.2017 के पहले हुई थी।	निदेशक डाक सेवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय) (तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी)	सभी	पोस्टमास्टर जनरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2	सिक्किम के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/डाकिया (समूह 'ग')/एमटीएस (समूह 'ग')/जीडीएसबीपीएम जिनकी नियुक्ति 23.10.2017 के पहले हुई थी।	निदेशक डाक सेवा, सिक्किम राज्य	निदेशक डाक सेवा, उत्तर बंगाल क्षेत्र (तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी)	सभी	पोस्टमास्टर जनरल, सिक्किम
3	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/डाकिया (समूह 'ग')/एमटीएस (समूह 'ग')/जीडीएसबीपीएम जिनकी नियुक्ति 23.10.2017 को या उसके बाद हुई थी।	उप अधीक्षक डाकघर (मुख्यालय), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	उप अधीक्षक डाकघर (मुख्यालय), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	सभी	निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय),
4	सिक्किम के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/डाकिया (समूह 'ग')/एमटीएस (समूह 'ग')/जीडीएसबीपीएम जिनकी नियुक्ति 23.10.2017 को या उसके बाद हुई थी।	उप अधीक्षक डाकघर, सिक्किम राज्य	उप अधीक्षक डाकघर, सिक्किम राज्य	सभी	निदेशक डाक सेवा, उत्तर बंगाल क्षेत्र



4. ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं वचनबंध) नियमावली, 2011 के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की याचिकाओं का निर्णय पोस्टमास्टर जनरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पोस्टमास्टर जनरल, सिक्किम द्वारा क्रमशः अपने-अपने क्षेत्राधिकारी में किया जाएगा।

5. ऐसे मामले जिनमें पूर्ववर्ती निदेशक डाक सेवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं निदेशक डाक सेवा, सिक्किम राज्य नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी हैं, उन मामलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र आदि पर विचार करने हेतु सिक्किम के लिए निदेशक डाक सेवा, उत्तर बंगाल क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

गौतम भट्टाचार्य, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

### NOTIFICATION

Kolkata, the 28th August, 2019

**No. Vig/Z-78/Misc/2019.**—Andaman & Nicobar Islands Division in West Bengal Postal Circle was previously headed by the Director of Postal Services (JAG), who was the appointing authority in respect of Postal Assistant/Postman/MTS/GDSBPM cadres. Subsequently a post of Postmaster General (SAG), Andaman & Nicobar Islands was created vide the Postal Directorate, New Delhi, memo No. 33-1/2011-PE-II dated 31.05.2016 and the post of Director of Postal Services, Andaman & Nicobar Islands was re-deployed elsewhere vide the Postal Directorate, New Delhi, memo No. 41-8/2016-PE-II dated 07.12.2016. Further to that, the post of Deputy Superintendent of Post Offices, Midnapore Division (Group 'B', Gazetted) was re-deployed temporarily in the interest of service until further order and designated as Deputy Superintendent of Post Offices(HQ), Andaman & Nicobar Islands vide CPMG, West Bengal Circle, memo No. EST/B/E-11/CH-VI/2011 dated 12.01.2017.

2. Sikkim State under North Bengal & Sikkim Region of West Bengal Postal Circle was previously headed by the Director of Postal Services (JAG), who was the appointing authority in respect of Postal Assistant/Postman/MTS/GDSBPM cadres. Subsequently a post of Postmaster General (SAG), Sikkim was created vide the Postal Directorate, New Delhi, memo No. 33-1/2011-PE-II dated 31.05.2016 and the post of Director of Postal Services, Sikkim was re-deployed elsewhere vide the Postal Directorate, New Delhi, memo No. 41-8/2016-PE-II dated 07.12.2016. Further to that, the post of Deputy Superintendent of Post Offices, Jalpaiguri Division (Group 'B', Gazetted) was re-deployed and designated as Deputy Superintendent of Post Offices, Sikkim, vide Circle Office memo No. EST/B/E-11/CH-VI/2011 dated 23.01.2017.

3. Consequent upon the changes in administrative hierarchy of Andaman & Nicobar Islands and Sikkim, it was stated in the CPMG, West Bengal Circle memo No. SFA/P-34/XVI/Pt dated 23.10.2017 that, in respect of the posts in Postal Assistant (Group 'C'), Postman (Group 'C'), MTS (Group 'C') and GDSBPM cadres at Andaman & Nicobar Islands and Sikkim (specified in Column 1 of Table-'A') the authorities specified in Column 2 will be appointing authority. The authorities specified in Column 3 and 5 shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in Column 4 with effect from that date.

Table-'A'

Sl No.	Description of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may imposes (with reference to item numbers in Rule-11 of CCS(CCA) Rules'1965)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
	1	2	3	4	5
1	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/ GDSBPM of Andaman &	Director of Postal Services, Andaman & Nicobar Islands	Director of Postal Services (HQ) (Adhoc-Disciplinary	All	Postmaster General, Andaman & Nicobar Islands



	Nicobar Islands appointed prior to 23.10.2017		Authority)		
2	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/ GDSBPM of Sikkim appointed prior to 23.10.2017	Director of Postal Services, Sikkim State	Director of Postal Services, North Bengal Region (Adhoc-Disciplinary Authority)	All	Postmaster General, Sikkim
3	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/ GDSBPM (now, BPM) of Andaman & Nicobar Islands appointed on or after 23.10.2017	Deputy Superintendent of Post Offices (HQ), Andaman & Nicobar Islands	Deputy Superintendent of Post Offices (HQ), Andaman & Nicobar Islands	All	Director of Postal Services (HQ)
4	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/ GDSBPM (now, BPM) of Sikkim appointed on or after 23.10.2017	Deputy Superintendent of Post Offices, Sikkim State	Deputy Superintendent of Post Offices, Sikkim State	All	Director of Postal Services, North Bengal Region

4. Petitions of Gramin Dak Sewaks under Rule-19 of GDS (Conduct and Engagement) Rules'2011 will be decided by PMG, A&N Islands and PMG, Sikkim respective to their jurisdiction.

5. In respect of cases erstwhile DPS, A&N Islands and DPS Sikkim State were Appointing/Disciplinary authority, the authority competent to consider the cases of VR, Resignation etc. will be DPS, North Bengal Region for Sikkim and DPS(HQ) for Andaman & Nicobar Islands.

GAUTAM BHATTACHARYA, Chief Postmaster General, West Bengal Circle